# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–100/2023
GCMS NO:- 2023/162

दायर दिनांक: 13.06.2023
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

रामेश्वर रेगर आ0 मोडू जाति रेगर नि0 पीपल्या तहसील नैनवॉ।

– प्रार्थी

**बनाम**

1. कल्याण आ0 मोडू जाति रैगर नि0 पीपल्या।
2. प्रकाश आ0 मोडू जाति रैगर नि0 पीपल्या।
3. हरजी आ0 मोडू जाति रैगर नि0 पीपल्या।
4. भूस्वामी जर्ये तहसीलदार महोदय, नैनवॉ।
5. राजस्थान राज्य जर्ये जिलाधीश महोदय, बून्दी।

–प्रत्यार्थीगण

**प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट**

उपस्थिति–
प्रार्थी की ओर से वकील श्री शंकरलाल शर्मा।

**निर्णय दिनांक 30.05.2025**

**:–निर्णय–:**

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पीपल्या प0म0 पीपल्या मे खाता संख्या 338 के खसरा नम्बर 808/437 रकबा 1.9416 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसमे प्रार्थी का हिस्सा 1/4 है तथा प्रार्थी अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त करता चला आ रहा है।

यह कि उक्त भूमि मे प्रार्थी का नाम रामेश्वर पुत्र मोडू के स्थान पर संह्वन से लिपिकीय टंकण त्रुटी के कारण प्रार्थी का बोलता नाम पप्पू पुत्र मोडू दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजों मे प्रार्थी का नाम रामेश्वर पुत्र मोडू ही लिखा हुआ है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि मे प्रार्थी का बोलता नाम पप्पू पुत्र मोडू लिखा होने से प्रार्थी को कई समस्याओं का सामना करना पड रहा है तथा प्रार्थी को राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की योजनाओं के लाभों से भी वंचित होना पड रहा है। ग्राम पीपल्या मे पप्पू पुत्र मोडू जाति रेगर के नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि की जमाबन्दी व अन्य राजस्व अभिलेखों मे अपना नाम संशोधन करवाकर पप्पू पुत्र मोडू के स्थान पर रामेश्वर पुत्र मोडू करवाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 व 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार नैनवां द्वारा पत्रांक :– 2371 दिनांक– 21.4..2025 द्वारा रिपोर्ट पेश की गयी जिसमे बताया कि प्रार्थी का नाम मुताबिक दस्तावेजों आधारकार्ड, जनाधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक पास बुक, जॉबकार्ड आदि मे रामेश्वर पुत्र मोडूलाल दर्ज है एवं मुताबिक मौका पर्चा पटवारी रिपोर्ट के अनुसार पप्पू और रामेश्वर एक ही व्यक्ति है एवं पप्पू पुत्र मोडू नाम का कोई अन्य व्यक्ति ग्राम पीपल्या मे निवास नही करता है। ग्राम पीपल्या की उक्त भूमि के विरासत का नामान्तरकरण संख्या 302 खोलते समय प्रार्थी का नाम पप्पू दर्ज हुआ था अतः राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र मोडू के स्थाप पर पप्पू उर्फ रामेश्वर पुत्र मोडूलाल कौम रैगर किया जाना उचित होने से अनुशंषा की है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि की जमावन्दी व अन्य राजस्व अभिलेखों मे अपना नाम संशोधन करवाकर पप्पू पुत्र मोडू के स्थान पर रामेश्वर पुत्र मोडू दर्ज करवाये जाने का निवेदन किया।

**राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना**

हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।''

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक खाता प्रति मे प्रार्थी का नाम रामेश्वर पुत्र मोडू ही अंकित है तथा तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि मे पप्पू उर्फ रामेश्वर पुत्र मोडू किये जाने की अनुशंषा की है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

## –: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ग्राम पीपल्या प0म0 पीपल्या मे खाता संख्या 338 के खसरा नम्बर 808/437 रकबा 1.9416 हैक्टयर भूमि में दर्ज प्रार्थी का नाम ''पप्पू पुत्र मोडू'' के स्थान पर ''पप्पू उर्फ रामेश्वर पुत्र मोडू' शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार नैनवां को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 30.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां